न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री एल.एन. मंत्री; आई.ए.एस.

राजस्व अपील : 10/2020
जी.सी.एम.एस. : 2020/00032

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री शिवसिंह, जाति माली, पता मोड़ भट्टा, तहसील सोजत, जिला पाली (राज.)		1. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 14 नेशनल हाईवे, कार्य इकाई 24, गजानन्द कॉलोनी, सुमेरपुर रोड़ पाली 2. प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, पाली (राज.) 3. प्रबन्धक, लार्सन एवं ट्रबो नेशनल हाईवे 14 पाली

अन्तर्गत धारा 3 G (V) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्रनारायण ओझा
अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री सतीश ओझा

–: निर्णय :–

दिनांकः– 27.03.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 3G (v) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत ग्राम जाडन–ब्यावर–पाली–पिण्डवाड़ा पाली के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी जारी अवॉर्ड के विरूद्ध पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

जिला कलेक्टर, पाली

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना–पत्र व वक्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि ग्राम सोजत चक संख्या 02 तहसील सोजत जिला पाली की सरहद में खसरा संख्या 2040/4 गैर मुमकिन आबादी जो प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी एवं कब्जाशुदा है जिसमें से 80 वर्गमीटर भूमि पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग 14 हेतु अवाप्त की जा चुकी है परन्तु सड़क सीमा में स्थित उक्त खसरा संख्या में से सड़क निर्माण के दौरान अवाप्तशुदा भूमि से अधिक भूमि की आवश्यकता होने से सत्यापन करवाकर 756 वर्गमीटर भूमि का उपयोग किया गया जो सड़क पी.आर.ओ. में स्थित है जो कि प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी की भूमि व उक्त भूमि की किस्म वाणिज्य प्रयोजनार्थ थी परन्तु अप्रार्थी ने जो भूमि अवाप्ति की राशि अदा की वह आवासीय दर से अदा की। स्वयं अप्रार्थी द्वारा दिनांक 18.07.2018 को प्रार्थी की भूमि वाणिज्यिक भूमि मानी गई व उसी दर से भुगतान करना था, परन्तु वाणिज्य दर से भुगतान नहीं कर आवासीय रूप से राशि का भुगतान किया गया जिससे प्रार्थी रूपये 04,23,00,000/– का अधिकारी था जबकि उसे रूपये 01,30,36,544/– ही अदा किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को भूमि अवाप्त करने के संबंध में अपनी आपत्ति भी दी, परन्तु आपत्ति को नजर अन्दाज करते हुए जैर आराजी का मुआवजा वाणिज्यिक रूप से निर्धारित नहीं किया साथ ही इसी क्रम में आपत्ति मांगे

जाने पर भी आपत्ति प्रस्तुत की गई परन्तु कोई गौर नहीं किया गया। अतः जैर आराजी का वाणिज्यिक रूप से मुआवजे की राशि एवं उससे दुगुनी राशि 18 प्रतिशत सालाना ब्याज सहित दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या ने अपनी बहस में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि जैर आराजी के संबंध में किसी प्रकार के कोई दस्तावेज प्रार्थी द्वारा मुआवजा निर्धारित किये जाने के समय पेश नहीं किये थे तथा मौके पर उपयोग आवासीय होने से आवासीय दर से गणना कर मुआवजा दिया गया, जिसे प्रार्थी ने स्वीकार किया व मुआवजा राशि निर्धारण के समय कोई आपत्ति दर्ज नहीं की व अपनी सहमति प्रकट किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने से निरस्त करने का आदेश फरमावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं अध्ययन करने पर प्रकरण में यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा संख्या 2040/4 में प्रार्थी की आपत्ति यह है कि उसे उक्त भूमि के मुआवजे का भुगतान आवासीय दर से किया गया है जबकि उक्त भूमि का वाणिज्यिक दर से मुआवजे का भुगतान किया जाना था। प्रकरण में रेकर्ड एवं दस्तावेजों के अध्ययन से पाया कि प्रकरण में याची द्वारा विवादित भूमि 2040/4 में से 756 वर्ग मीटर भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 10.07.2019 को विपक्षी के पक्ष में किया गया है तथा इस विक्रय विलेख पर उभयपक्ष प्रार्थी एवं विपक्षी जिसके पक्ष में भूमि अवाप्त की गई है, दोनों के हस्ताक्षर है एवं उक्त भूमि का प्रार्थी द्वारा प्रतिफल अदा किया जा चुका है तथा कब्जा हस्तानान्तरण किया जा चुका है अर्थात इस भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा याची की सहमति से भूमि क्रय की गई है। याची द्वारा उक्त भूमि का सहमति से विक्रय किया गया है तथा मुआवजा प्राप्त कर लिया गया है तो इस प्रकरण में कदापि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत मध्यस्थता/arbitration का क्षेत्राधिकार ही नहीं बनता। तद्नुसार प्रार्थी का आवेदन प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 3G(v) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **27.03.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली